बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-03/2016/................ /पटना, दिनांक......................

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय;- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि रु0 3,94,31,400/-(तीन करोड़ चौरानवें लाख एकतीस हजार चार सौ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका-1(क) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 34 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित ब शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।

8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधी निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्ययवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572/वी० दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रमोद कुमार वर्मा

निदेशक

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक ....08......................../पटना, दिनांक ....19.08.2016....................

प्रतिलिपि: 1. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.08.16

निदेशक

19/8/16